

द्वारा ई-मेल/द्वारा फैक्स/अतिमहत्वपूर्ण/समयवद्ध

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-।

संख्या:पॉच-470(वरिष्ठता)-2014 दिनोंक:दिसम्बर/7,2015

सेवा में,

- 1-समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश। (पीएसी को छोड़कर)
- 2-समस्त जौनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश (पीएसी को छोड़कर)
- 4-सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

विषय: उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन एवं पदोन्नति की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त सन्दर्भ में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या:पॉच-470(वरिष्ठता)2014 दिनोंक: 26-11-2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्रशिक्षण बैच- 1997-98 तक के उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची परिचालित करते हुये सम्बन्धित उपनिरीक्षकों से दिनोंक:05-12-2015 तक प्रत्यावेदन/ आपत्तियाँ मॉगी गयी थी। साथ ही सम्बन्धित उपनिरीक्षकों को सूचित करने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन/आपत्तियों को उपलब्ध कराने एवं डाटा में त्रुटि होने तथा किसी उपनिरीक्षक का नाम छूटे होने की दशा में दिनोंक:06-12-2015 तक उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपदों/इकाईयों से प्राप्त सूचनाओं का समावेश एवं जिन उपनिरीक्षकों द्वारा आपत्तियाँ/प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे, उनका निराकरण/ निस्तारण कर दिया गया है। तदोपरान्त उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जा रही है, जो निम्नलिखित रीति से तैयार की गयी है:-

- 1- पीटीसी प्रशिक्षण सत्र-1997-98 में प्रशिक्षण प्राप्त सीधी भर्ती (मृतक आश्रित को सम्मिलित करते हुये) एवं विभागीय रैंकर परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015 में स्थापित व्यवस्था के अनुसार पीटीसी में अर्जित अंकों के प्रतिशत के आधार पर घकानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) रखा गया है।
- 2- पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हुये अभ्यर्थियों को उसी बैच में सबसे नीचे रखा गया है, भले ही उनके अंकों का प्रतिशत अधिक हो।
- 3- किसी भी सीधी भर्ती बैच के प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता उस बैच के नियमित चयनित अभ्यर्थियों के साथ पीटीसी के अंक के प्रतिशत के आधार पर तैयार की गयी है।
- 4- एक ही बैच के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पाये अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के पूर्णांक समान न होने पर उनके पूर्णांक एवं प्राप्तांक का प्रतिशत निकालकर पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है।
- 5- एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता का आधार बनाया गया है।

- 6- उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर आउट आफ टर्न पदोन्नति प्राप्त कर्मियों को शासनादेश संख्या-1693/6-पु-1-15-90(4)/2014 दिनांक 23-07-2015 में स्थापित व्यवस्था के अनुसार इनकी वरिष्ठता का निर्धारण आउट आफ टर्न पदोन्नति की तिथि से किया गया है।
- 7- वैकल्पिक (OPTIONAL) विषयों के अंकों को ज्येष्ठता निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया गया है।
- 8- रिट याचिका संख्या-8783/2002 उमेश चन्द्र पाण्डेय बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक-18.03.2005 तथा स्पेशल अपील संख्या-638/05 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम उमेश चन्द्र पाण्डेय में पारित निर्णय दिनांक-28.10.2010 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुये उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा-1991 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रशिक्षण सत्र-2000-01 के कैंडिडेटों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, उन्हें उपनिरीक्षक ना0पु0 सीधी भर्ती परीक्षा-1991 के नियमित अभ्यर्थियों (प्रशिक्षण सत्र-1997-98) के साथ प्रशिक्षण सत्र-2000-01 में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रशिक्षण सत्र-1997-98 की सूची में सम्मिलित किया गया है।
- 9- अन्तिम वरिष्ठता सूची में कुल- 1418 उपनिरीक्षकों के नाम सम्मिलित हैं।

3- उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की गयी है। अन्तिम वरिष्ठता सूची सर्वसम्बन्धित को E-Mail से भेजी जा रही है। अन्तिम वरिष्ठता सूची में कुल-1418 उपनिरीक्षक ना0पु0 के नाम अंकित हैं। कृपया उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रशिक्षण बैच 1997-98 तक के उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची को अग्रेतर कार्यवाही हेतु डाउन लोड कर लिया जाये।

4- अवगत कराना है कि निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती/चयन के वर्ष-2014 के 410 रिक्त पदों के सापेक्ष "उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015" के नियम-5(2) के अनुसार "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर" बोर्ड द्वारा पदोन्नति की कार्यवाही की जानी है। भर्ती/चयन के वर्ष-2014 की रिक्तियों के दृष्टिगत अन्तिम वरिष्ठता सूची के अनुसार मुख्य क्रमंक-800 तक के उपनिरीक्षकों के सेवा अभिलेख/बोर्ड प्रपत्र-1 में सूचनाव्ये उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

5- अतः अनुरोध है कि कृपया अन्तिम वरिष्ठता सूची के मुख्य क्रमंक-800 तक के उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना के सेवा अभिलेख तत्काल अद्यावधिक कराकर निम्न प्रकार अग्रेतर कार्यवाही की जाय:-

- (1)- विगत में जनपद/इकाईयों से प्राप्त चरित्र पंजिकाओं एवं बोर्ड प्रपत्र-1 में अंकित सूचनाओं के परिशीलन से अधिकांश कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षों के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये हैं अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राईटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त बोर्ड प्रपत्र में कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध

पंजीकृत अभियोगों में आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण उपलब्ध कराया जाये।


- (2)- वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं तके वार्षिक मंतव्य, सत्यानिष्ठा पूर्ण कराने, दण्ड, अपील एवं रिवीजन, अभियोग आदि की अद्यावधिक प्रविष्टियां/सूचना अंकित करने के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के परिपत्र संख्या:डीजी-परिपत्र-49/2013 दिनांक 29-08-2013 द्वारा समुचित मार्ग-दर्शन निर्गत किया गया है। (परिपत्र दिनांक 29-08-2013 की प्रति संलग्न है।)
- (3)- भर्ती/चयन वर्ष-2014 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में अन्तिम वरिष्ठता सूची के मुख्य कर्मांक-800 तक के उपनिरीक्षकों का विवरण बोर्ड प्रपत्र-1 में वर्ष-2004 से 2013 तक के सेवा अभिलेखों की प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट-आफ-डेट 01-07-2014 होगी। बोर्ड प्रपत्र-1 को भरने हेतु दिशा- निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.uppbpb.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध लिंक "प्रोन्नति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियों" पर लिंक करने पर "प्रोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों के प्रारूप" के अन्तर्गत उपलब्ध हैं और वहाँ से डाउन लोड किये जा सकते हैं। (बोर्ड प्रपत्र-1 एवं भरने हेतु दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है।)
- (4)- बोर्ड प्रपत्र-1 में सूचनायें ए-3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा। यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र-1 में सूचनायें पुलिस मुख्यालय में लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।
- (5)- उपनिरीक्षकों की चरित्रपंजिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र-1 में सूचनायें सम्बन्धित जनपद/इकाईयों द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/सम्बन्धित इकाई के पुलिस उपमहानिरीक्षक के हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (6)- कतिपय उपनिरीक्षकों के विरुद्ध अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम वरिष्ठता सूची के मुख्य कर्मांक-800 तक के उपनिरीक्षकों से स्वघोषित घोषणा-पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक

अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण स्वघोषणा-पत्र में अंकित करा लिया जाय। (स्वघोषणा-पत्र का प्रारूप संलग्न है।)

- (7)- यदि स्वघोषणा-पत्र में सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा कोई अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र-1 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही सभी उपनिरीक्षकों के स्वघोषित घोषणा-पत्र भी बोर्ड प्रपत्र-1 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराये जायेगा।
- (8)- सम्बन्धित उपनिरीक्षकों की चरित्रपत्रिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र-1 में सूचनायें (ए-3 साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा-पत्र दोनों 03-03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सीडी लेकर सम्बन्धित सहायक पुलिस मुख्यालय के अनुभाग-5 में निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार उपस्थिति होकर चरित्रपत्रिकाओं/सूचनाओं का मिलान कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे:-

क्र०सं०	जोन / इकाई का नाम	दिनांक
1	गोरखपुर जोन, लखनऊ जोन, बरेली जोन एवं वाराणसी जोन के सभी जनपद	18.12.2015
2	मेरठ जोन, कानपुर जोन आगरा जोन एवं इलाहाबाद जोन के सभी जनपद	19.12.2015
3	अभिसूचना विभाग/सुरक्षा शाखा/जीआरपी के सभी अनुभाग एवं अन्य सभी शेष इकाईयों	20.12.2015

6- अतः अनुरोध है कि कृपया निर्धारित समयसीमा के अन्दर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


(भगवान स्वरूप)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि:समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया अपने परिक्षेत्र के जनपदों से उपरोक्तानुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची के मुख्य क्रमांक-800 तक के उपनिरीक्षकों की अद्यावधिक चरित्रपत्रिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र-1 में सूचनायें (ए-3 साइज पेपर पर) प्राप्त कर परीक्षण/हस्ताक्षरोपरान्त जनपद के सम्बन्धित सहायक के माध्यम से निर्धारित समय सारणी के अनुसार पुलिस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ० प्र० लखनऊ।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ० प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से सर्वसम्बन्धित को अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समुचित निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस उपमहानिरीक्षक, एन0आई0ए0, 1/131 विजयखण्डगोमती नगर लखनऊ।
- 2- निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।
- 3- आयुक्त व्यापार कर विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- पुलिस अधीक्षक, सीबीआई लखनऊ।
- 6- पुलिस अधीक्षक, वाणिज्य कर विभाग लखनऊ।
- 7- संयुक्त सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।
- 8- सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
- 9- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
- 10- संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- 11- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-6, गौतमबुद्धनगर।

1
2014

1	क्र०	
2	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	
3	पीरनओ	
4	कर्मों का नाम	
5	पिता का नाम	
6	जन्मतिथि	
7	कैडर	
8	जनपद/इकाई	वर्तमान तैनाती
9	परिक्षेत्र/अनुभाग	
10	भर्ती की तिथि	
11	उप निरीक्षक ना0पु0 के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	
12	वर्ष	सेवा अवधि (परिधीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुये) (वर्षानु वर्ष 2014 के लिये)
13	माह	
14	दिन	
15	वर्ष	(भर्ती/सिद्धि के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिये)
16	कब से	
17	कब तक	
18	वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी	
19	प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करने का दिनांक	
20	प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	
21	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	

निरीक्षक नागरिक पुंरि

वारिज राजिका लिपिक के हस्ताक्षर
नाम, पद, मुहर

प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर
नाम, पद, मुहर

14 के पर पर अनुपुत्र को अस्वीकार करते हुये ज्ञापना के आधार पर प्रोन्सि हेतु चयन के लिये पात्रता सूची में सम्मिलित अर्थात् का सेवा विवरण
 भर्ती/सिक्ति का वर्ष-2014

22	संख्या	(भर्ती/सिक्ति के वर्ष से पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिये)	दीर्घ दण्ड- नियम-14(1)	(भर्ती/सिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिये)	दीर्घ दण्ड- नियम-14(2)
23	अप्रमाणित सत्यापित प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक		दण्ड की प्रकृति (पंचव्युत करना/संवा से हटाना/वेतनमान में अवनाति)		
24	अप्रमाणित सत्यापित प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक		दण्ड के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक		
25	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)		वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)		
26	दण्डादेश की संख्या		दण्डादेश की संख्या		
27	दण्डादेश का दिनांक		दण्डादेश का दिनांक		
28	घटना का वर्ष		घटना का वर्ष		
29	दण्ड की प्रकृति (पंचव्युत करना/संवा से हटाना/वेतनमान में अवनाति)		दण्ड की प्रकृति (पंचव्युत प्रविष्टि/अर्धदण्ड आदि)		
30	दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक		दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक		
31	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)		वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)		
32	दण्डादेश की संख्या		दण्डादेश की संख्या		
33	दण्डादेश का दिनांक		दण्डादेश का दिनांक		
34	घटना का वर्ष		घटना का वर्ष		
35	दण्ड की प्रकृति (पंचव्युत प्रविष्टि/अर्धदण्ड आदि)		दण्ड की प्रकृति (पंचव्युत प्रविष्टि/अर्धदण्ड आदि)		
36	दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक		दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक		
37	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)		वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)		

क्षेत्राधिकारी कार्यालय के हस्ताक्षर
 नाम, पद, मुहर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आीनाक
 नाम, पद, मुहर

बोर्ड प्रपत्र-1 भरने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

महत्वपूर्ण :- "बोर्ड प्रपत्र-1" को सावधानीपूर्वक सेवा अभिलेखों के आधार पर भरा जाय।

प्रपत्र का कालम	भरने के सम्बन्ध में निर्देश
1	इस कालम में क्र०स० अंकित की जायेगी। क्र०स० आरोही क्रम में अंकित की जायेगी।
2	इस कालम में अभ्यर्थी से सम्बन्धित ज्येष्ठता सूची का क्रमांक अंकित किया जायेगा।
3	इस कालम में अभ्यर्थी का पी०एन०ओ० अंकित किया जायेगा।
4	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार नाम अंकित किया जायेगा।
5	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार पिता का नाम अंकित किया जायेगा।
6	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार जन्मतिथि अंकित की जायेगी।
7	इस कालम में कैडर अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस
8	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई का नाम अंकित किया जायेगा।
9	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई से सम्बन्धित परिसेत्र/अनुभाग का नाम अंकित किया जायेगा।
10	इस कालम में अभ्यर्थी की भर्ती का दिनांक अंकित किया जायेगा।
11	इस कालम में अभ्यर्थी की उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि अंकित की जायेगी। मौलिक नियुक्ति की तिथि:- का आशय अभ्यर्थी के उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी अथवा यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी नियुक्ति की तिथि से है।
12	सेवा अवधि- का आगणन करने हेतु भर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की मौलिक नियुक्ति की तिथि घटाने पर उस भर्ती वर्ष के लिये कुल सेवा अवधि निकाली जायेगी।
13	
14	
15	इन कालमों में क्रमशः भर्ती/रिक्ति का वर्ष, इसके पूर्ववर्ती 10 वर्षों के वार्षिक गोपनीय मंतव्यों की अवधि एवं
16	वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी अंकित की जायेगी।
17	उदाहरणार्थ : यदि किसी अभ्यर्थी का वर्ष 2001 का वार्षिक गोपनीय मंतव्य अलग-अलग अवधि के लिए दो
18	अधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है तो उसका विवरण निम्नवत अंकित किया जायेगा:- 2001- 01-01-2001 से 30-04-2001 अति उत्तम 01-05-2001 से 31-12-2001 अच्छा
19	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी का किसी वर्ष का वार्षिक गोपनीय मंतव्य प्रतिकूल अंकित किया गया हो तो उसे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
20	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जाय।
21	इस कालम में अभ्यर्थी के प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत

22	इस कालम में भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों की सत्यनिष्ठा की निम्नांकित श्रेणी अंकित की जायेगी:- प्रमाणित, अप्रमाणित अथवा रोकी गई
23	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित अथवा रोकी गई है तो उससे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
24	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा अप्रमाणित अथवा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
25	इस कालम में अभ्यर्थी के अप्रमाणित या रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरुद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
26	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
27	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
28	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा।
29	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- पदच्युत करना / सेवा से हटाना आदि।
30	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
31	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
32	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
33	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
34	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा।
35	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- अर्धदण्ड, परिनिन्दा प्रविष्टि आदि।
36	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
37	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
38	इसमें निलम्बन का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: न-39/2012 दिनांक 30-10-2013
39	इसमें निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में।
40	इसमें अपराध संख्या/धारा/थाना/जनपद अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: 234/96, धारा 323/324 आदि, थाना-गाजीपुर, लखनऊ
41	इसमें आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
42	इसमें यदि न्यायालय का कोई निर्णय हो तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: वाद मा0 न्यायालय एडीजे-5, लखनऊ के यहां एस0टी0 नं0-399/98 पर विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31-10-2013 नियत है।
43	इसमें जाँच संगठन का नाम अंकित किया जायेगा। जैसे- विभागीय, सी0बी0सी0आई0डी0 आदि।
44	इसमें आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।

45	इसमें अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
46	इसमें अभ्यर्थी के चयन, प्रोन्नति या सेवा के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: निलम्बन आदेश दिनांक 30-10-2013 अग्रिम आदेशों तक स्टे है।
47	इसमें वाद संख्या एवं मा0 न्यायालय के आदेश का दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, रिट याचिका संख्या: 3570(एस/एस)/2013, दिनांक 10-11-2013

सामान्य निर्देश :-

- 1- प्रत्येक कालम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा यदि किसी कालम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है तो उस कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाय।
- 2- उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 फॉन्ट में ही तैयार की जाय।
- 3- एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाय।
- 4- एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय।
- 5- अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

संख्या-डीजी-परिपत्र-49/2013

दिनांक : लखनऊ : अगस्त 29, 2013

सेवा में,

- 1-समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/शाखा/इकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश।

विषय:-

कान्सोनापु0 से हेड कान्सोनापु0 के पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में वर्ष 1997 तक नती पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं/ सेवा अभिलेखों को त्रुटिरहित उपलब्ध कराये जाने के संबंध में

ज्ञातव्य है कि आरक्षी से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए, प्रोन्नति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराया जाना है। उपरोक्तानुसार वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं का अद्यावधिक होना अपरिहार्य है। अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के परिणामस्वरूप इस बात की सम्भावना रहती है कि उ0प्र0 पुलिस मर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कुछ कर्मियों के संबंध में प्रोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार नहीं किया जा सकता अथवा कुछ कर्मियों की पदोन्नति के संबंध में घयन समिति की संस्तुति बन्द लिफाफे में अकारण रखी ही जाती है। आप सभी सहमत होंगे कि यदि प्रोन्नति के पात्र होते हुये भी किसी कर्म को प्रोन्नति नहीं मिलती है अथवा विलम्ब से मिलती है तो इससे उसके मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

2- उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत वर्तमान में आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पदों पर प्रोन्नति प्रक्रिया के त्रुटिरहित निष्पादन के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सभी सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं का गहनता से पुनरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सभी कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं की सभी प्रविष्टि अद्यावधिक कर दी गई है तथा साथ ही नामिनल रोल सिस्टम में भी सभी प्रविष्टियाँ फीड कर दी गई हैं।

3- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद/इकाई स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रभारी कार्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया जाय तथा उसमें प्रधान लिपिक एवं सम्बन्धित चरित्र पंजिका लिपिक तथा अन्य उपयुक्त कम्प्यूटर कार्य के दक्ष कर्मचारियों को नियुक्त कर निम्नवत् सभी विन्दुओं पर वांछित अद्यावधिक सूचनाएं प्राथमिकता के आधार पर चरित्र पंजिकाओं में तथा नामिनल रोल सिस्टम में अंकित कराना सुनिश्चित करें :-

वार्षिक मन्तव्य-

- 1- कर्मियों के सेवा अभिलेखों में सम्पूर्ण सेवाकाल के वार्षिक मन्तव्यों की प्रविष्टि करना।
- 2- कर्मियों के प्रतिकूल मन्तव्य अंकित किये जाने का नोटिस निर्गत करने की तिथि का उल्लेख चरित्र पंजिका में अंकित किया जाय तथा यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निर्गत कर अप्रिन कार्यवाही पूर्ण कराये यदि इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या मा0 अधिकरण द्वारा कोई स्थगनादेश अथवा निर्णय दिया गया हो तो उसका अंकन चरित्र पंजिका में करते हुए इसकी प्रमाणित प्रति चरित्र पंजिका में चरसा की जाय।

PHRALD

31-8-2013
349/13

3-कर्मियों के वार्षिक मन्तव्यों के कतिपय कारणों से समय से अंकित न होने की दशा में सामान्य होने की मोहर लगाकर प्रेषित किया जाता है जो उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा मान्य नहीं है। अतः इस प्रकार सामान्य की मोहर लगाकर चरित्र पंजिका नहीं प्रेषित किया जाये।

4- कर्मियों के वार्षिक मन्तव्य न लिखे होने की दशा में शासनादेश संख्या: 38/8/1978-कर्मिक-2 दिनांक 30 अप्रैल, 1991 के अनुसार ब्लैक की मोहर लगाकर वार्षिक मन्तव्य प्रेषित किये जाते हैं। दो वर्ष से अधिक वर्षों में ब्लैक की मोहर लगाकर प्रेषित करना नहीं मान्य होगा। अतः दो वर्षों से ज्यादा में ब्लैक की मोहर न लगाई जाय।

5-यदि अपरिहार्य कारणों से किसी वर्ष के वार्षिक मन्तव्य न लिखा जा पा रहा तो उस वर्ष के सम्बन्ध में निम्न 07 बिन्दुओं पर सूचना चरित्र पंजिका में अंकित किया जाये:-

(1) उपरोक्त वर्षों में उक्त कर्मों की सेवा की निरन्तरता का प्रमाण पत्र। इस सम्बन्ध में यह प्रमाणित करना है कि उपरोक्त वर्षों में यह निरन्तर सेवा में रहे हैं या सेवा से विरत अथवा गैरहाजिर तो नहीं रहे हैं।

(2) उपरोक्त वर्षों में उक्त कर्मियों को कोई प्रतिकूल तथ्य, सत्यनिष्ठा, निलम्बन एवं 14(1), 14(2) के अन्तर्गत कोई दण्ड मिला हो या मिले हो तो उनका विवरण तथा जिस घटना के सम्बन्ध में दण्ड मिला हो तो उस घटना का दिनांक। जैसे-किसी कर्मों को 2005 की घटना के लिये वर्ष-2008 में दण्ड मिला हो तो दोनो दिनांक अंकित करते हुये यह स्पष्ट किया जाये कि वर्ष 2005 की घटना के लिये वर्ष-2008 में दण्ड मिला है।

(3) उपरोक्त वर्षों में उक्त कर्मों के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत तो नहीं हुआ है। यदि पंजीकृत हुआ है तो उस मुकदमे की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है (क्या वह विवेचनाधीन है, क्या अन्तिम रिपोर्ट लगी है? क्या इसमें आरोप पत्र निर्गत होकर माननीय न्यायालय में विचारधीन है? या विचारण होकर ट्रायल पर आया है, अथवा माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है या सजा की गई है) स्पष्ट रूप से अंकित करें तथा मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति भी प्राप्त कर चरित्र पंजिका में चरित्र की जाय।

सत्यनिष्ठा-

कर्मियों की सत्यनिष्ठा रोके जाने का नोटिस निर्गत करने की तिथि का उल्लेख चरित्र पंजिका में अंकित किया जाय तथा यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निर्गत कर अग्रिम कार्यवाही पूर्ण कराये। यदि इस सम्बन्ध में मा० न्यायालय या मा० अधिकरण द्वारा कोई स्थगनादेश अथवा निर्णय दिया गया हो तो उसका अंकन चरित्र पंजिका करते हुए इसकी प्रमाणित प्रति चरित्र पंजिका में चरित्र की जाय।

दण्ड, अपील एवं रिवीजन -

1-कर्मियों को 14(1) अथवा 14(2) के अन्तर्गत प्रदत्त दण्ड का उद्धारण चरित्र पंजिका में अंकित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जिस घटना के संबंध में दण्ड प्रदान किया गया है उसके घटित होने की तिथि अथवा अवधि उद्धारण में अवश्य अंकित हो।

2-कर्मियों को दिये गये दण्ड के विरुद्ध योजित अपील तथा रिवीजन में पारित निर्णय अथवा उनके विचारधीन होने का स्पष्ट अंकन किया जाये। यदि अपील अथवा रिवीजन में पारित आदेश के कारण दण्ड विलोपित किया जाता है तो उसको राजपत्रित अधिकारी द्वारा अवश्य प्रमाणित किया गया हो।

3-कर्मियों को प्रदत्त दण्ड के विरुद्ध यदि मा० लोक सेवा अधिकरण अथवा मा० न्यायालय द्वारा दण्ड के संबंध में पारित स्थगनादेश अथवा निर्णय का स्पष्ट उल्लेख उसकी चरित्र पंजिका में किया जाय तथा आदेश की प्रति चरित्र पंजिका में चरित्र की जाय।

5-03-
पु
करा
इस
मुक्ति
नपद
हाई
हार
रतार
मदोई
हाथर
सहार
पीली

रूप से पूर्ण कराये जाने का व्यक्तिगत दायित्व जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक व इकाई/शाखा प्रभारी के साथ-साथ अपर पुलिस अधीक्षक, प्रभारी कार्यालय का होगा तथा इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रकाश में आने पर संबंधित जनपद/इकाई के अपर पुलिस अधीक्षक प्रभारी कार्यालय के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिरीक्षक जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र अपने अधीनस्थ जनपदों/इकाईयों में इस कार्य की प्रगति को प्रत्येक सप्ताह अनुश्रवण करेंगे और इसको 30 सितम्बर 2013 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करायेंगे।

(देवराज-नागर) 298/1
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित है :-

- 1-पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, खाद्य प्रकोष्ठ, आवास निगम, सहकारिता प्रकोष्ठ, रेलवे, मानवाधिकार तकनीकी सेवायें, ७०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- 2-अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, सीबीसीसीआईडी, यातायात, भ्रष्टाचार, विशेष जॉब, पीसीएल, सतर्कता, सुरक्षा, उत्तर प्रदेश।
- 3-पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश।
- 4-पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना) ७०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

24/8/13
निमित्त
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
७० प्र० लख

स्वघोषणा-पत्र

मैं, शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ) _____ पुत्र
निवासी _____ थाना _____ जनपद _____
वर्तमान में (जनपद/इकाई) _____ नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण
सत्र _____ का उपनिरीक्षक हूँ। मैं, प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई _____ में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक: _____ को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं० _____ धारा _____ थाना _____ जनपद _____ में लम्बित है, जिसमें दिनांक: _____ को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी _____ द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में _____ स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान-
दिनांक:

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।